## भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्वर 24-25 दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31-ऐ चंडीगढ़-160030

दिनांक: 09-10-2017

फाइल नम्बर: 9-HRB130/2017-CHA सेवा में.

> नोडल ऑफिसर, एवं वन सरंक्षक (एफ सी), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, C- 18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 1.46 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Bhiwani for improvement of road by providing 4 lane Jhanwari-Miran-Siwani from km. 33.35 to 34.85 in Siwani Town under forest division and District Bhiwani, Haryana.

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रश्ना डी तीन 8044/1799 दिनांक 13.09.2017.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भार्कित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 1.46 हेक्टेयर वन भूमि कि मांग की गई है |

- प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:
  - i) Vegetation density online shown as "0" instead of "0.6" please clarify.
  - ii) Number of trees to be felled be confirmed as Species-wise local online shown as "64" trees instead of "73" trees.
  - iii) DSS/Google Earth analysis proposed CA site has no space for plantation. Alternate CA site is required for target plantation.
- 3. NO (FCA) is requested to check these short comings at his level before forwarding the proposed to MoEF&CC
- 4. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिंनों के भीतर प्रस्तुत करें | जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रह किया जा सकता है |

भवदीय

(एस०डी० शर्मा)

वन संरक्षक (केन्द्रीय

प्रतिलिपि:

3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Bhiwani, Haryana.